

1. (1) This Scheme may be called the Rajasthan Coal Mines Provident Fund (Second Amendment) Scheme, 1981.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 1st April, 1980.

2. In the Rajasthan Coal Mines Provident Fund Scheme, in sub-paragraph (2) of paragraph 12, for the words, brackets and figures "three and point five (3.5) per centum, the words, brackets and figures "three (3) per centum", shall be substituted.

Explanatory Memorandum

In terms of the provisions contained in sub-paragraph (2) of paragraph 12 of the Rajasthan Coal Mines Provident Fund Scheme, the employers are required to pay to the Coal Mines Provident Fund, certain amount, over the above the employer's and as well as member's contributions, to defray the cost of administration of the Fund known as the administrative charge. The rate of administrative charge has been prescribed in paragraph 12 of the Rajasthan Coal Mines Provident Fund Scheme which is subject to review from time to time by the Central Government in consultation with the Board of Trustees, Coal Mines Provident Fund as provided for in sub-paragraph (2) of paragraph 12 of the Rajasthan Coal Mines Provident Fund Scheme. The Board reviewed the position in its 81st meeting held on the 25th January, 1980 and recommended to the Central Government reduction in the rate of administrative Charges from 3.5 per cent to 3 per cent of the employer's and the employee's contributions with effect from the 1st April, 1980. The notification seeks to make the amendment in the Scheme with retrospective effect from the 1st April, 1980, as was recommended by the Board. Section 6 of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 lays down that a Scheme thereunder may provide that any of its provisions shall come into force either prospectively or retrospectively with effect from such date as may be specified in this behalf. The retrospective operation of the amendment will not adversely effect the interest of any member of the Rajasthan Coal Mines Provident Fund.

[No. 8(1)/80-Admn. I(PF)(jii)]
A. S. DESHPANDE, Dy. Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1981

सां. कां. निं. 139.—भारत सरकार के 18 अक्टूबर, 1980 को प्रकाशित राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3(1) में प्रकाशित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की 6 अक्टूबर, 1980 की अधिसूचना संख्या 13-26/78-एन० एच० एम० के अन्तर्गत 1980 के सां. कां. निं. 1087 के नियम 5 में आए शब्दों "या पदों" को काट दिया जाए।

[सं. 13-26/78-एन० एच० एम०]

पी० डी० आनन्द, डेस्क अधिकारी

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

ERRATA

New Delhi, the 22nd January, 1981

G.S.R. 139.—In the Notification of the Department of Science and Technology No. 13-26/78-NHM dated the 6th October, 1980 published in part II Section 3(i) of the Gazette of India dated the 18th October, 1980 G.S.R. No.1087 of 1980 the words "or posts" occurring in Rule 5 of the Notification be deleted.

[No. 13-26/78-NHM]
P. D. ANAND, Desk Officer

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1981

सां. कां. निं. 140.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एन.व्हा.रा. लेडी हाइंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में समूह "ग" के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ (1) इन नियमों का नाम लेडी हाइंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1981 है।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।
- उपयोजन:—ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होते हैं।
- संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान:—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वहीं होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 3 से 5 में निर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:—उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें वहीं होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से 15 में निर्दिष्ट हैं।
- अर्हता:—कोई व्यक्ति,—
 - जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा
 - जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं है/होगा।
- परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूतरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुमति है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।
- छूट देने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहां बहुसंख्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से और लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

7. व्यावृत्ति—इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा प्रत्ययन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम-माबली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ प्राप्त है)।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	6 (ए)	7	

1.	हाउस कीपर	चार	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (आराज-पक्षित) (अलिपिक वर्गीय)	260-6-326- द०रो०-8-366 रूप	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	20 से 30 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 35 वर्ष तक गिणितनीय)।	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेट या इसके सम-तुल्य अर्हता। 2. नर्सिंग होस्टल/कैम्पेन का तीन वर्ष का अनुभव।
----	-----------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------------	---	--

नोट :—भर्ती नियम के कालम 8 में उल्लिखित आयु सीमा प्रवर्धित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अल्पमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।
जो पद रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरे जाते हैं उनके बारे में उम्मीदवारों की आयु सीमा प्रवर्धित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों को उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिए कहा गया हो।

1	2	3	4	5	6	6(क)	7
						<p>भित्त जो मण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) प्राप्ति प्राप्त करने के लिए नियत की गई प्रतिम तारीख होगी। जो पद रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर जाते हैं उनके बारे में उम्मीदवारों की आयु सीमा प्रवधारित करने की निर्णायक तारीख वह प्रतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों को उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिए कहा गया हो।</p>	
8	9	10	11	12	13		
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(i) उपप्रधानाचार्य --प्रध्यक्ष (ii) शल्य-विभागाध्यक्ष --सदस्य (iii) मुख्य प्रशासन अधिकारी --सदस्य (iv) उप-चिकित्सा अधीक्षक --सदस्य (v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक महयोजित अधिकारी --सदस्य	लागू नहीं होता		
1	2	3	4	5	6	6(क)	7
12 आहारविद्	एक	सामान्य केंद्रीय सेक्यूरिटी "ग" अराज्यपत्रित अननुसूचित्रीय	425-15-500- ब०रो०-15-560- 20-700 रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	<p>21 वर्ष से 28 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार 35 वर्ष तक छुट) ताट : भर्ती नियम के कालम 8 में उल्लिखित आयु-सीमा प्रवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अल्पियों से (उनसे भित्त जो मण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) प्राप्ति प्राप्त करने के लिए नियत की गई प्रतिम तारीख होगी। जो पद रोजगार कार्यालय</p>	(i) आहारविद् और पोषण में डिप्लोमा सहित बी०एस०सी० (ii) इस व्यवसाय में एक वर्ष का अनुभव। -

1	2	3	4	5	6	6(क)	7
						के माध्यम से भरे जाते हैं उनके बारे में उम्मीदवारों की आयु-सीमा प्रवर्धित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोज-गार कार्यालयों को उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिए कहा गया हो।	
8	9	10	11	12	13		
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(i) उप-प्रधानाचार्य —अध्यक्ष	लागू नहीं होता		
				(ii) सूक्ष्मजीव-विज्ञान-विभाग का विभागाध्यक्ष —सदस्य			
				(iii) उप-चिकित्सा अधीक्षक —सदस्य			
				(iv) मुख्य-प्रशासन अधिकारी —सदस्य			
				(v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सहयोगी अधिकारी —सदस्य			

[सं० II-12018/10/78-प्रशासन-II (एम ई-यू जी)]
जी० जी० के० नायर, हेल्थ अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 21st January, 1981

G.S.R. 140.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of Posts, Classification and Scale of pay.—The number of the posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 3 to 5 of the said schedule.

4. Method of recruitment age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 6 to 15 of the said Schedule.

1235 GI/80—4

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

1	2	3	4	5	6	6a	7
						mentioned in column 8 of the Recruitment Rules will in each case be the closing date for receipts of applications from candidates in India (Other than Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, the appointments to which are made through the employment exchanges, the crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date up to which the Employment Exchange are asked to submit the names.	
12. Dietician	One	General Central Service, Group 'C' Non-gazetted non-Ministerial	Rs.425-15-500-EB-15-560-20-700	Not applicable	Not applicable	Between 21 to 28 years (Relaxable upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	(i) B.Sc. with Diploma in Diatican and Nutrition. (ii) One year's experience in the profession.
						NOTE : The crucial date for determining the age limit mentioned in column 8 of the Recruitment Rules will in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, the appointments to which are made through the employment exchanges, the crucial date for determining the age limit, will, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	(i) Vice-Principal— Chairman (ii) Head of the Department of Surgery— Member (iii) Chief Administrative Officer—Member. (iv) Deputy Medical Superintendent— Member (v) A Co-opted Officer to represent Schedu- led Castes/Schedu- led Tribes—Member.	Not applicable.
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	(i) Vice-Principal —Chairman (ii) Head of the Depart- ment of Microbio- logy—Member (iii) Deputy Medical Superintendent —Member (iv) Chief Administra- tive Officer—Member (v) A Co-opted Officer to represent Sched- uled Castes/Sched- uled Tribes— Member.	Not applicable.

[No.A.12018/10/78-Admn.II (ME-UG)]
G. G. K. NAIR, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1981

सा० का० नि० 141—श्रीषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए श्रीषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम 1978 का एक प्रारूप, श्रीषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और 33 अपेक्षानुसार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1534, तारीख 16 दिसम्बर, 1978 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 30 दिसम्बर, 1978 के पृष्ठ 2939-2964 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उस तारीख से जिस तारीख को उस राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित हुई थी नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी;

और यह वांछनीय समझा जाता है कि उक्त प्रारूप नियम, कुछ उपान्तरणों के साथ, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित कर दिया जाए, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है;

अतः, केन्द्रीय सरकार श्रीषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और 33

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा श्रीषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् श्रीषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त धाराओं में अपेक्षित है, और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम पर उस तारीख से जिस तारीख को उस राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, नब्बे दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा। इस प्रकार, विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

नियमों का प्राव्य

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रीषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 1980 है।

2. श्रीषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के (जिन्हें इसमें आगे उक्त नियम कहा गया है) नियम 21 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्—

(क) "आयोजित अनुज्ञप्ति" से या तो अनुसूची ग और ग(1) में विनिर्दिष्ट श्रीषधियों का, जिनमें अनुसूची